

## एचईईपी-2020 के तहत अधिसूचि माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी मली

### चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को हरयाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरयाणा उद्यम और रोजगार नीति (एचईईपी)-2020 के तहत अधिसूचि माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

### प्रमुख बढि

- वढि है कऱ राज्य के वढिनन औढयोगकऱ संघों और नरऱयातकों ने राज्य सरकार से सभी एमएसएमई के लऱये योजना को संशोधन करने और नरऱयातकों को प्रेरनऱ करने के लऱये ब्लॉक-वाइज कैपगऱ की समीकषा करने का अनुरोध कऱया थऱ।
- नए संशोधनों के अनुसार, वैश्वकऱ बाज़ार में सूकषम, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के नरऱयात को प्रतऱसऱपर्धी बनाने के लऱये अनऱय गैर-वढितीय प्रोतऱसाहनों सहनऱ इकाई के परऱसर से बंदरगाह/एयर कार्गो/अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक परवऱहन लागत की अढायगी के लऱये माल ढुलाई सब्सडऱ के रूप में 25 लाख रुपए प्रढान कऱये जाएंगे।
- वनऱरऱमाण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सडक मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक माल की ढुलाई पर सरकारी शुल्क और करों को छोडकर, फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूलऱ या वास्तवकऱ माल ढुलाई के 1 प्रतऱशत की सीमा तक माल ढुलाई सहायता, जो भी कम हो, जेडईडी प्रमाणन के स्तर के आधऱर पर सुनऱशऱचनऱ की जाएगी।
- थरऱसऱट सेक्टर (एचईईपी के तहत अधऱसूचनऱ) के लऱये, 'सी' और 'डी' श्रेणी ब्लॉक में स्थनऱ थरऱसऱट सेक्टर में लगे नरऱमाता नरऱयातक को अधकऱतम 25 लाख रुपए और थरऱसऱट सेक्टर 'ए' और 'बी' श्रेणी के ब्लॉक में लगे नरऱमाता नरऱयातक को 15 लाख रुपए तक की सबऱसडऱ सुनऱशऱचनऱ की जाएगी।
- अनऱय सभी पातऱर नरऱमाता नरऱयातक इकाइयों (नॉन-थरऱसऱट सेक्टर) के लऱये, 'सी' और 'डी' श्रेणी ब्लॉक में स्थनऱ नरऱमाता नरऱयातक को अधकऱतम 20 लाख रुपए तथा 'ए' और 'बी' श्रेणी ब्लॉक में स्थनऱ नरऱमाता नरऱयातक को 10 लाख रुपए तक की सबऱसडऱ सुनऱशऱचनऱ की जाएगी।
- नई संशोधन नीतऱ में वनऱरऱमाण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सडक मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक ढुलाई हेतु जेडईडी गोलुड सर्ऱटफऱइड इकाइयों के लऱये शत-प्रतऱशत सबऱसडऱ, जेडईडी सलऱवर सर्ऱटफऱइड इकाइयों के लऱये 75 प्रतऱशत और जेडईडी काँसऱय सर्ऱटफऱइड इकाइयों के लऱये फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूलऱ या वास्तवकऱ माल ढुलाई के 1 प्रतऱशत में से सरकारी शुल्क और करों को छोडकर, 33 प्रतऱशत सबऱसडऱ सुनऱशऱचनऱ की जाएगी।
- संशोधन के अनुसार, सभी पातऱर इकाइयों के आवेदन वढितीय वर्ष की समाप्त की तऱरीख से 6 महीने की अवधऱ के भीतर वढऱग के वेब पोऱटल पर जमा करवाए जाएंगे और 10 लाख रुपए से अधकऱ की माल ढुलाई सबऱसडऱ की मंजूरी देने के लऱये महऱनऱदेशक/नऱदेशक, एमएसएमई सकषम प्रऱधकऱरी होंगे।
- मंत्रमऱडल ढवऱरा योजना की शुरुआत और लागू होने की प्रभावी तऱरऱि में ढदलाव के साथ एजेंडे को स्वीकृतऱ ढी गई।
- योजना की लागू होने की प्रभावी तऱरऱि 1 जुलाई, 2023 होगी जसऱका अरऱथ है कऱ वास्तवकऱ नरऱयात 1 जुलाई, 2023 को या उसके ढऱद कऱया जाना चाहऱये, यह उठऱन के ढलऱ के आधऱर पर नरऱधऱरनऱ कऱया जाएगा।
- धऱयातवऱय हो कऱऱ यह नीतऱ राज्य में 1 लाख करोड रुपए का नऱवऱश आकऱषनऱ करने और 5 लाख नौकरऱयों ढैढऱ करने के उढदेशऱ से अधऱसूचनऱ की गई थी।
- हरयाणा उद्यम और रोजगऱर नीतऱ (एचईईपी), 2020, औढयोगकऱ प्रतऱसऱपर्धऱतमकता, संतुलनऱ कषेऱरीय वकऱस, नरऱयात, नऱवाचार और उद्यमनऱ और मजऱूत औढयोगकऱ ढुनऱऱऱी ढऱँचे को ढढऱवा देने के लऱये राज्य के समग्र सामऱजकऱ-आरऱथकऱ वकऱस के लऱये ढऱँच स्तंढों की ढहचऱन करती है।